न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीनअधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 52 / 2022

अनवान : —

1. रणजीत वल्द रामपत जाति जाट निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।
2. छोटुराम पुत्र दोलतराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा त0 भादरा।

—प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :—श्री मुंशीराम गोस्वामी प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 08.08.22

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 16 एएमएस के मु0न0 136 के के किला न0 15 ता 17, 21 ता 25, मु0न0 137 के किला न0 11, 12, 18 ता 23 की कुल 4.048है0 बारानी मय रास्ता की कृषि भूमि प्रार्थी सं0 1 रणजीत पुत्र रामपत व प्रार्थी सं0 2 छोटूराम के पिता दोलतराम की खरीद की हुई है जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज है।

उक्त भूमि पहले कस्टोडियन विभाग की होती थी जो बाद में चोथमल वल्द तेजुमल तथा गगनदास वल्द गनुमल को आंवटित हो गई व उनके पक्ष में खातेदारी सनद जारी हो गई थी। जिन्होने उक्त भूमि को प्रार्थी सं0 1 रणजीत पुत्र रामपत व प्रार्थी सं0 2 छोटूराम के पिता दोलतराम को दिनांक 11.06.1970 को विकय कर बैयनामा तस्दीक रजिस्टर करवा दिया था। उक्त बैयनामा के आधार पर दिनांक 04.09.2004 को नामान्तरण सं0 465 के अनुसार प्रार्थी सं0 1 रणजीत पुत्र रामपत व प्रार्थी सं0 2 छोटूराम के पिता दोलतराम के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक कर दिया गया।

प्रार्थीगण की खरीदशुदा भूमि का नामान्तरण सं0 465 दिनांक 04.09.2004 तस्दीक किये जाने के उपरान्त भी लिपिकिय भूलवंश जमावंदी में नामान्तरण का अंकन दर्ज होने से रह गया था, जिसके चलते प्रार्थीगण अपनी खातेदारी का सही तरीके से उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहे है। अतः वर्तमान में वाद भूमि मे दर्ज सिवाय चक की जगह प्रार्थीगण रणजीत पुत्र रामपत व प्रार्थी छोटूराम के पिता दौलतराम का नाम जमावन्दी मे खातेदार के रूप में करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। व तहसीलदार भादरा से उक्त विवादित भूमि की मौका रिपॉर्ट ली गई।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि उक्त भूमि पहले कस्टोडियन विभाग की होती थी जो बाद में चोथमल वल्द तेजुमल तथा गगनदास वल्द गनुमल को आंवटित हो गई व उनके पक्ष में खातेदारी सनद जारी हो गई थी। जिन्होने उक्त भूमि को प्रार्थी सं0 1 रणजीत पुत्र रामपत व प्रार्थी सं0 2 छोटूराम के पिता दोलतराम को दिनांक 11.06.1970 को विक्रय कर बैयनामा तस्दीक रजिस्टर करवा दिया था। उक्त बैयनामा के आधार पर दिनांक 04.09.2004 को नामान्तरण सं0 465 के अनुसार प्रार्थी सं0 1 रणजीत पुत्र रामपत व प्रार्थी सं0 2 छोटूराम के पिता दोलतराम के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक कर दिया गया। प्रार्थीगण की खरीदशुदा भूमि का नामान्तरण सं0 465 दिनांक 04.09.2004 तस्दीक किये जाने के उपरान्त भी लिपिकिय भूलवंश जमाबंदी में नामान्तरण का अंकन दर्ज होने से रह गया था, इस प्रकार प्रार्थीगण के अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है जिससे प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज सिवाय चक की वजह से अपने खातेदारी हकों से वंचित है। अतः नामान्तरण सं0 465 की पालना में प्रार्थी रणजीत पुत्र रामपत व प्रार्थी छोटूराम के पिता दौलतराम का नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने रोही मौजा चक 16 एएमएस के मु0न0 136 के के किला न0 15 ता 17, 21 ता 25, मु0न0 137 के किला न0 11, 12, 18 ता 23 की कुल 4.048है0 बारानी मय रास्ता की कृषि भूमि प्रार्थी सं0 1 रणजीत पुत्र रामपत व प्रार्थी सं0 2 छोटूराम के पिता दोलतराम की खरीद की हुई है जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज है, में नामान्तरण सं0 465 दिनांक 04.09.2004 के आधार पर अपना नाम खातेदार के रूप में दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों व तहसीलदार भादरा की रिपॉर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार उक्त भूमि पहले कस्टोडियन विभाग की होती थी जो बाद में चोथमल वल्द तेजुमल तथा गगनदास वल्द गनुमल को आंवटित हो गई व उनके पक्ष में खातेदारी सनद जारी हो गई थी। जिन्होने उक्त भूमि को प्रार्थी सं0 1 रणजीत पुत्र रामपत व प्रार्थी सं0 2 छोटूराम के पिता दोलतराम को दिनांक 11.06.1970 को विक्रय कर बैयनामा तस्दीक रजिस्टर करवा दिया था। उक्त बैयनामा के आधार पर दिनांक 04.09.2004 को नामान्तरण सं0 465 के अनुसार प्रार्थी सं0 1 रणजीत पुत्र रामपत व प्रार्थी सं0 2 छोटूराम के पिता दोलतराम के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक कर दिया गया। प्रार्थीगण की खरीदशुदा भूमि का नामान्तरण सं0 465 दिनांक 04.09.2004 तस्दीक किये जाने के उपरान्त भी लिपिकिय भूलवंश जमाबंदी में नामान्तरण का अंकन दर्ज होने से रह गया था, तथा जमाबंदी में उक्त वाद भूमि कस्टोडियन ही चलती रही। बाद में राज्य सरकार के आदेश क्रमाक

उपखण्डाधिकारी (भादरा)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

राजस्व/पूर्नवास विभाग कमांक/ पी–1(15)राजस्व/पूर्नवास विभाग दिनांक 16.01.2009 के अनुसार उक्त वाद भूमि जरिये नामान्तरण सं0 702, 15.12.2009 के आधार पर सिवाय चक काबिल काश्त दर्ज कर दी गई। इस प्रकार नामान्तरण सं0 465 का अमलदरामद जमाबंदी में होने से रह गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर तथा राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 06.10.2009 कमांक–एफ–1(15)राजस्व/पुनर्वास/2009 में दिये गये मार्गदर्शन जिसके अनुसार ऐसे प्रकरण जिनमें राशि जमा हो कर सनद पट्टा जारी हो चुके हो, किन्तु इन्तकाल नहीं खुले हो अथवा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ हो तो ऐसे प्रकरणों में राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद की कार्यवाही सम्पादित की जावे। अतः उपरोक्त विवेचानानुसार यह न्यायोचित प्रतित होता है कि नामान्तरण सं0 465 दिनांक 04.09.2004 का अंकन राजस्व रिकार्ड में नहीं होना एक लिपिकिय भूल थी जिसके चलते उक्त वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में कस्टोडियन भूमि ही चलती रही, जो बाद में राज्य सरकार के आदेशानुसार सिवाय चक काबिल काश्त दर्ज कर दी गई जिससे प्रार्थीगण के हित प्रभावित हुए है, इसलिए प्रार्थी सं0 1 रणजीत पुत्र रामपत व प्रार्थी सं0 2 छोटूराम के पिता दौलतराम का नाम खातेदार के रूप में उक्त वाद भूमि दर्ज किया जावे। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 16 एएमएस के मु0न0 136 के के किला न0 15 ता 17, 21 ता 25, मु0न0 137 के किला न0 11, 12, 18 ता 23 की कुल 4.048है0 बारानी मय रास्ता की कृषि भूमि जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक काबिल काश्त दर्ज है, में नामान्तरण सं0 465 दिनांक 04.09.2004 की पालना में सिवाय चक काबिल काश्त की जगह प्रार्थी स0 1 रणजीत पुत्र रामपत व प्रार्थी सं0 2 छोटूराम के पिता दौलतराम का नाम खातेदार के रूप में दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.08.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़